उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-12/2022/वे0आ0-2-556/दस-2022 ई-1600341

लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

कृपया वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/2022/वे0आ0-2-360/दस-2022-ई-1600341 दिनांक 20 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा किसी प्रशासकीय विभाग से पद सृजन/संवर्ग पुनर्गठन के संदर्भित प्रकरणों पर यथापेक्षित कार्मिक विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श के उपरान्त उक्त शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रकरण श्री संजय कुमार, सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- श्री संजय कुमार का सचिव, वित्त के पद से स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप श्री शाहिद मंजर अब्बास रिजवी, सचिव, वित्त को उक्त समिति का अध्यक्ष नामित करते हुए उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा गठित समिति को निम्नवत संशोधित किया जाता है :--

(क) श्री शाहिद मंजर अब्बास रिजवी, सचिव, वित्त - अध्यक्ष

(ख) श्री सरयू प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव, वित्त - सदस्य

(ग) संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग के विशेष सचिव- सदस्य

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 जुलाई, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा इसके शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2022/वे0आ0-2-556(1)/दस-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(3) अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) निजी सचिव, सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(6) समस्त वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभागों के विशेष सचिव।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।